

द्वितीय अध्याय

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए विनियोग की लेखापरीक्षा का निष्पादन करते हैं कि क्या बजट के अन्तर्गत विभिन्न अनुदानों के तहत वास्तविक व्यय उस वर्ष के लिए स्वीकृत विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरणों के अन्तर्गत भारित किया जाना चाहिए तब भारित किया गया है तथा इस प्रकार किया गया व्यय विधि संबंधित नियमों, अधिनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.1 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2017-18 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय का सारांश तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1 कुल बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पण की राशि	31 मार्च को किए गए समर्पण की राशि	31 मार्च को किए गए समर्पण की राशि का बचत राशि से प्रतिशत
दत्तमत	I राजस्व	65,037.92	16,446.81	81,484.73	60,716.91	20,767.82	20,458.20	15,756.21	75.87
	II पूंजीगत	15,460.94	822.12	16,283.06	9,416.20	6,866.86	6,846.97	5,927.23	86.32
	III ऋण तथा अग्रिम	412.91	98.00	510.91	323.33	187.58	174.73	124.17	66.19
	कुल दत्तमत	80,911.77	17,366.93	98,278.70	70,456.44	27,822.26	27,479.90	21,807.60	78.38
भारित	IV राजस्व	4,460.54	338.57	4,799.11	4,103.03	696.08	685.38	662.94	95.24
	V पूंजीगत	27.93	1.40	29.33	28.07	1.26	1.24	1.19	94.05
	VI लोक ऋण	2,063.37	0.00	2,063.37	1,145.89	917.48	917.48	917.48	100.00
	कुल भारित	6,551.84	339.97	6,891.81	5,276.99	1,614.82	1,604.09	1,581.60	97.94
	कुलयोग	87,463.61	17,706.90	1,05,170.51	75,733.43	29,437.08	29,083.99	23,389.20	79.45

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बचत ₹ 29,437.08 करोड़¹ (कुल अनुदान/विनियोग का 27.99 प्रतिशत) रहा, जिसमें से बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 353.09 करोड़ को कालातीत होने दिया गया। 31 मार्च 2019 को शेष बचत ₹ 29,083.99 करोड़ में से ₹ 23,389.20 करोड़ समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग का कोई संभावना नहीं रह गया। यह चिंता का एक गंभीर कारण है और प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है। सरकार मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकती थी, इसलिए, ₹ 17,706.90 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था।

अनुशंसा: अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा खर्च की प्रवृत्ति की निगरानी करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रत्याशित बचत जल्द से जल्द समर्पण कर दी जाए ताकि धन का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

¹ कुल बचत ₹ 29,438.75 करोड़ है और आधिक्य व्यय ₹ 1.67 करोड़ है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक बचत ₹ 29,437.08 करोड़ है।

2.2 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

2.2.1 आधिक्य व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुदान/विनियोग में आधिक्य व्यय को नियमित कराना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दो अनुदानों और चार विनियोजनों के तहत राज्य विधायिका द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹ 1.67 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संवितरण था। वर्ष 2000-01 से 2017-18 के लिए प्रावधानों पर ₹ 3,260.16 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अब भी (दिसम्बर 2019) नियमित नहीं किया गया है, जिसे परिशिष्ट 2.1 में दर्शाया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 (3) का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा राज्य के समेकित कोष से कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

इसके अलावा, 2018-19 के दौरान भी हुए आधिक्य व्यय का नियमितीकरण किया जाना है जो कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वर्ष 2018-19 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण की आवश्यकता है

स. क्र.	मांग सं.	अनुदान का नाम	कुल मांग / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि जिसका नियमितीकरण आवश्यक है	समर्पण राशि
(₹ करोड़ में)						
राजस्व दत्तमत						
1	50	बीस सूत्रीय योजना क्रियान्वयन विभाग	1.66	2.70	1.04	0.00
राजस्व भारित						
2	6	वित्त विभाग	0.50	0.52	0.02	0.00*
3	14	पशुपालन विभाग	0.00 [@]	0.05	0.05	0.00
4	33	आदिवासी कल्याण	0.10	0.20	0.10	0.00
5	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	0.46	0.77	0.31	0.30
पूँजीगत/दत्तमत						
6	6	वित्त विभाग	0.10	0.25	0.15	0.00
योग			2.82	4.49	1.67	0.30

[@] प्रारंभ में ₹ 20,000 की टोकन राशि का प्रावधान किया गया था।

* प्रारंभ में ₹ 41,000 की टोकन राशि का प्रावधान किया गया था।

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

लोक निर्माण कार्य-भवन विभाग द्वारा 31 मार्च 2019, ₹ 1.67 करोड़ की अंतिम अधिकता के बावजूद, 0.30 करोड़ का समर्पण किया गया जो की अवास्तविक और अनुचित था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को अति शीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में अत्यन्त एवं चरम आपात स्थिति के मामले, जिनका व्यय केवल आकस्मिक निधि से पूरा किया जा सके, को छोड़कर इस तरह के व्यय को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए।

2.2.2 सतत् आधिक्य व्यय

विगत तीन वर्षों में सात अनुदानों/विनियोगों के तहत 15 उप-शीर्षों में प्रावधान से अधिक सतत् आधिक्य व्यय पाया गया। इन उप-शीर्षों/योजनाओं के तहत इस वर्ष किए गए एक करोड़ से अधिक अतिरिक्त व्यय तालिका 2.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.3 सतत् आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मांग सं.	उप-शीर्षों के नाम	2016-17	2017-18	2018-19
1	06	2071-01-102-3080-भारत में पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	2.83	3.87	17.79
2		2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण	9.53	26.93	71.89
3		2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण कोष राशि की प्रतिपूर्ति	3.39	3.98	3.93
4	07	2030-01-101-4612-स्टाम्पों की लागत	3.64	2.13	2.32
5	19	2071-01-800-5499-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	3.21	2.16	1.65
6		2210-03-198-0101-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	22.95	15.05	14.83
7	41	2210-03-197-0102-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	5.63	11.08	22.39
8		2210-03-198-0102-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	20.00	19.45	26.34
9		2210-03-198-0102-2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3.08	4.76	8.75
10	58	2245-80-800-96-आग के फैलने से राहत	8.57	12.94	3.87
11		2245-80-800-7729-डुबने से, धसकने से, रसोई गैस फटने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत	9.16	26.86	19.86
12	64	2210-03-198-0103-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	4.25	2.92	5.38
13		2225-01-102-0703-7629-अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	2.38	2.98	4.31
14	75	4700-07-800-0311-5516-वृहद सिंचाई परियोजनानिर्माण कार्य (नाबार्ड)	4.97	35.00	1.91
15		4702-101-0311-9469-नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत	5.76	26.99	22.40

(स्रोत: 2016-17 से 2018-19 तक के विनियोग लेखे)

अनुशांसा: उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि सामाजिक क्षेत्र में लगातार अधिक व्यय के बावजूद, पर्याप्त बजट प्रावधान यह संकेत नहीं देते थे कि बजट अनुमानों की तैयारी वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं थी।

2.2.3 योजनाओं के तहत आधिक्य व्यय

कुल 22 प्रकरणों में विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,006.99 करोड़ का व्यय हुआ जो प्रत्येक प्रकरण में स्वीकृत प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक है जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

आधिक्य व्यय इंगित करता है कि बजट यथार्थवादी नहीं था और सही मूल्यांकन के बाद तैयार नहीं किया गया था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बजट नियंत्रण अधिकारी राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित नियमित आवंटन से अतिरिक्त व्यय न करे।

2.2.4 बचत

पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार अपने मूल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी और प्रत्येक वर्ष कई अनुपूरक प्रावधानों का सहारा लिया जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में बचत हुई। इसी अवधि के दौरान समग्र बचत 19.96 प्रतिशत से 27.99 प्रतिशत के बीच रही, जबकि मूल प्रावधान से बचत 13.41 प्रतिशत से 19.53 प्रतिशत के बीच तालिका 2.4 में दर्शाए गए हैं। यह इंगित करता है कि सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान अतिरिक्त थे और अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे।

तालिका 2.4: पिछले पाँच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के समग्र बजट की बचत

वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	कुल बचत	कुल बचत प्रतिशत	मूल प्रावधान से बचत	मूल प्रावधान से बचत की प्रतिशत
2014-15	57,149.83	3,052.58	60,202.41	48,187.92	12,014.49	19.96	8,961.91	15.68
2015-16	67,545.90	6,793.63	74,339.53	54,353.86	19,985.67	26.88	13,192.04	19.53
2016-17	73,996.33	6,205.99	80,202.32	60,470.82	19,731.50	24.60	13,525.51	18.28
2017-18	80,958.77	7,640.24	88,599.01	69,712.30	18,886.71	21.32	11,246.47	13.89
2018-19	87,463.61	17,706.90	1,05,170.51	75,733.43	29,437.08	27.99	11,730.18	13.41

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

2.2.4.1 अनुदान और विनियोग के तहत बचत

कुल ₹ 29,437.08 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 27,276.13 करोड़ की बचत 48 मामलों में 38 अनुदान और दो विनियोग के तहत हुई, जिसमें हरेक अनुदान/विनियोग में कुल ₹ 100 करोड़ राशि से अधिक की बचत हुई जो कि वर्ष के दौरान कुल बचत का 92.66 प्रतिशत है। यह परिशिष्ट 2.3 में विस्तृत है। उनमें से 12 अनुदानों और दो विनियोग के तहत बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक थी।

2.2.4.2 योजनाओं के तहत बचत

विनियोग लेखापरीक्षा से पता चला कि 22 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 52 मामलों में ₹ 13,893.82 करोड़ की बचत हुई थी और प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत हुई जो कि कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से भी अधिक था। यह परिशिष्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 1,581 संचालित उप-शीर्षों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत 56 योजनाओं में देखी गई, जिनका विवरण परिशिष्ट 2.5 में दिखाया गया है।

इन 56 योजनाओं के तहत कुल ₹ 48,495.62 करोड़ की राशि का बजट रखा गया था, लेकिन केवल ₹ 30,224.35 करोड़ खर्च किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18,271.33 करोड़ की बचत हुई, जो समग्र बचत का 60.45 प्रतिशत है। बड़ी बचत विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजट या प्रदर्शन में कमी या दोनों का संकेत है।

2.2.5 अनुदानों के अंतर्गत सतत् बचत

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 25 अनुदानों के तहत 32 प्रकरणों में ₹ 20 करोड़ से अधिक की लगातार बचत और प्रत्येक मामले में बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक था जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दिखाया गया है। अनुदानों का बचत कुल बजट का 10.15 और 85.99 प्रतिशत के बीच थी जो इंगित करती है कि बजट यथार्थवादी नहीं था। चार मामलों में प्रत्येक प्रावधान में 30 प्रतिशत से अधिक की लगातार बचत हुई। यह पहले की राज्य वित्त रिपोर्टों में बताया गया था, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है।

2.2.6 उप शीर्षों के तहत समग्र बजट प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया गया

कुल 31 अनुदानों के अंतर्गत 82 प्रकरणों में विभिन्न उपशीर्षों के लिए किए गए ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक के समग्र प्रावधान ₹ 3,456.04 करोड़ का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभिन्न योजनाओं और अनुदानों के तहत प्रावधानों के उपयोग नहीं होने के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। वित्त विभाग को बजट प्रावधानों के साथ-साथ अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और अधिक न्यायसंगत प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

2.2.7 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान

अ) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

कुल 29 अनुदानों के अंतर्गत 33 प्रकरणों में, वर्ष में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान का योग ₹ 3,664.50 करोड़ था जो अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दर्शाया गया है।

ब) आधिक्य अनुपूरक प्रावधान

नौ अनुदानों और एक विनियोग में ₹ 6,473.85 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध, ₹ 14,139.25 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुआ। प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की आधिक्य परिणामी बचत ₹ 7,665.39 करोड़ को **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

2.2.8 उप शीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान

अ) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 21 अनुदानों के अंतर्गत 47 प्रकरणों में प्राप्त ₹ 2,716.19 करोड़ के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान पूरी तरह से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

ब) आधिक्य अनुपूरक प्रावधान

कुल 20 अनुदानों के अंतर्गत 50 प्रकरणों में ₹ 8,861.34 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 10,873.95 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुए। प्रत्येक प्रकरण में परिणामी बचत ₹ एक करोड़ या उससे अधिक का कुल योग ₹ 2,012.61 करोड़ है जिसे **परिशिष्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

स) अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

कुल आठ अनुदानों के अंतर्गत नौ प्रकरणों में ₹ 123.42 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 61.38 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए। प्रत्येक

प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की परिणामी कमी का कुल योग ₹ 62.04 करोड़ है जिसे परिशिष्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुपूरक बजट तैयार करना चाहिए ताकि अनुपूरक प्रावधान अधिक यथार्थवादी हो।

2.2.9 निधियों का आधिक्य/ अनावश्यक /अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

परिशिष्ट 2.13 में विस्तृत नौ अनुदानों के तहत 22 उपशीर्षों/योजनाओं में पुनर्विनियोजन के बाद ₹ 10 करोड़ से अधिक की आधिक्य/बचत थी। यह इंगित करता है कि अनुमानों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था, क्योंकि पुनर्विनियोजन के माध्यम से धन निकालने/जमा करने के बाद भी, अनुदानों में अंतिम बचत/आधिक्य थे।

2.2.10 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

कुल 19 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक राशियों का समर्पण इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है। कुल बचत ₹ 6,987.83 करोड़ के विरुद्ध ₹ 7,281.39 करोड़ समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 293.56 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.14 में दिया गया है।

2.2.11 पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना

तीन अनुदानों और तीन विनियोगों के तहत सात प्रकरणों के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक का बचत हुआ परंतु सम्बंधित विभाग द्वारा उसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में ₹ 1,847.65 करोड़ की राशि शामिल थी जो कुल बचत ₹ 29,437.08 करोड़ का 6.28 प्रतिशत है, जिसे परिशिष्ट 2.15 में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, 15 अनुदानों एवं एक विनियोग (समर्पण के बाद प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचत) के तहत 22 प्रकरणों में ₹ 12,100.14 की बचत में से ₹ 764.33 करोड़ की प्रावधानित राशि (उपरोक्त बचतों का 6.32 प्रतिशत) का समर्पण नहीं किया गया जिसे परिशिष्ट 2.16 में दर्शाया गया है।

अनुशंसा: सभी पूर्वानुमानित बचत का समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि, निधियों का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

2.2.12 व्यय का अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरित) की कण्डिका 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अतिवेग से बचना चाहिए। इसके विपरीत 22 मुख्य शीर्षों में 2018-19 की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 9,213.94 करोड़ का व्यय हुआ, फसल पालन (₹ 4,472.67 करोड़), सहकारिता (₹ 3,066.09 करोड़) और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 317.61 करोड़) जो कि इन शीर्षों के तहत कुल व्यय ₹ 14,491.09 करोड़ का 63.58 प्रतिशत है जिसे परिशिष्ट 2.17 में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिवेग सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं अस्वास्थ्यकर प्रथाओं के जोखिम को बढ़ाता है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का अतिवेग समझदार वित्तीय प्रबंधन नहीं है और बजट मैनुअल के प्रावधान के विरुद्ध है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय के अतिवेग को नियंत्रित करना चाहिए।

2.3 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

छत्तीसगढ़ के आकस्मिकता निधि नियमावली 2001 के अनुसार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य को छोड़कर, आकस्मिकता निधि से कोई भी अग्रिम नहीं लिया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 9.80 करोड़ की राशि के आठ मामलों में से सात में (तालिका-2.5 के सरल क्रमांक 1 से 7 तक), व्यय आकस्मिकता निधि से आहरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता था क्योंकि ये व्यय अप्रत्याशित या आकस्मिक चरित्र के नहीं थे। इस प्रकार, आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम उद्देश्य अधिनियम का उल्लंघन था। विवरण तालिका 2.5 में दिखाया गया है।

तालिका 2.5: राज्य के आकस्मिकता निधि से व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	व्यय की प्राकृति जिसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण किया गया है	अग्रिम राशि	आहरण माह
1	सामान्य प्रशासन विभाग	विकाश यात्रा प्रोग्राम, 2018	385.84	मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2018 और जनवरी 2019
2	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	वेंचर कैपिटल फंड के सृजन के लिए	200.00	मई 2018
3		छत्तीसगढ़ नवाचार निधि के सृजन के लिए	100.00	मई 2018
4		उद्यमी कॉर्पस फंड के सृजन के लिए	200.00	मई 2018
5	कानून और विधान – सभा विभाग	छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के लिए नए वाहन की खरीद	18.09	जून 2018
6	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित मुआवजे के भुगतान के लिए कलेक्टरों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन	75.95	फरवरी 2019
7	गृह (जनगणना) विभाग	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए डाटा एंट्री का काम	0.54	फरवरी 2019
8	वानिकी और वन्यजीव	आज्ञप्ति राशि का भुगतान	492.33	मार्च 2019
कुल			1,472.75	

अनुशांसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति के खर्च को छोड़कर आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया जाए।